संख्या: 2154/VII-2/191-उद्योग/07

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय,
नई दिल्ली।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 02 जून 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 में अपर निवेश कार्यालय, नई दिल्ली के लिये अवचनबद्ध मदों में व्यय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 267/XXVII (1)/2008 दिनांक 27 मार्च, 2008 एवं अपर निवेश आयुक्त नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.4.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत 25-मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु निम्नविवरणानुसार कुल रू0 3.30 लाख (रू0 तीन लाख तीस हजार मात्र) को श्री राज्यपाल व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

25-मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान (102 03 से स्थानान्तरित) :

कोड/मद का नाम	आवंटित बजट (रू0 हजार में)
04-यात्रा व्यय	60
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	80
22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	40
42-अन्य व्यय	50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबंधी स्टेशनरी का क्रय	30
योग :	330

(रू0 तीन लाख तीस हजार मात्र)

2- वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

BUDGET G.O 2008 (NON PLAN-13

3– व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31–3–2009 तक कर लिया जायेगा। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रशासनिक विभाग /वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जाय।

5– उपकरण/फर्नीचर आदि का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर अथवा टण्डर/कुटेशन के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

6– कम्प्यूटर आदि का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति से अथवा उनके द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग, 25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान (102 03 से स्थानान्तरित) के उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अ0स0 563/XXVII(2)/2008 दिनांक 22 मई 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2154(i)/VII-2/191–उद्योग/07, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर आयुक्त निवेश/विनिवेश, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–2
11. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।